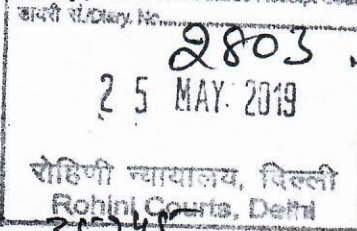


कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय) : दिल्ली

परिपत्र

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या 20034/1/2012-हिंदी, दिनांक 18 जून 2012 के बिन्दु 6 उपबिन्दु (xviii) व संसदीय राजभाषा समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के 8वें खण्ड में की गई संस्तुतियों व सिफारिशों के अनुसार तथा इस कार्यालय में पूर्ववत् जारी कार्यालय निर्देश संख्या 38316-986/हिंदी/237/2012, दिनांक 15.09.2012 के निरंतरता में सूचित किया जाता है कि 'क' और 'ख' क्षेत्र और 'ग' क्षेत्र में सभी प्रकार के विज्ञापनों पर खर्च की जाने वाली कुल धनराशि की कम से कम आधी (50%) धनराशि, हिंदी में विज्ञापनों पर और शेष आधी (50%) धनराशि, अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं में विज्ञापनों पर खर्च की जानी सुनिश्चित करें तथा यदि कोई विभाग विज्ञापन देना चाहता है तो वे अंग्रेजी के अखबार में हिंदी के विज्ञापन भी दे सकते हैं और सभी विभाग विज्ञापनों को द्विभाषी रूप में प्रकाशित करायें। इन विज्ञापनों पर कुल राशि का न्यूनतम 50 प्रतिशत हिंदी और 50 प्रतिशत अंग्रेजी एवं प्रान्तीय भाषाओं पर खर्च किया जाये।

जैसा कि विदित है कि दिल्ली राजभाषा अधिनियम, 2000 दिनांक 26.01.2004 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में प्रभावी हो चुका है जिसमें हिंदी को प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया गया है और राजभाषा हिंदी के प्रयोग व प्रचार-प्रसार के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के वर्ग क्षेत्र में आती है, अतः आप सभी राजभाषा हिंदी की नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए विभिन्न समाचार-पत्रों इत्यादि में प्रकाशनार्थ प्रेषित किए जाने वाले विज्ञापनों को सरकारी नीतियों के अनुरूप, आवश्यक तौर पर, राजभाषा हिंदी में प्रकाशित करवायें।



तलवंत सिंह
(तलवंत सिंह)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय),
तीस हजार न्यायालय,
दिल्ली

संख्या 35445-35245/238/हिंदी/के0/प्रपत्र/2019

दिल्ली, दिनांक 24/5/19

उपर्युक्त परिपत्र की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित करें :-

1. समस्त विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दिल्ली/नई दिल्ली।
2. श्री वीरेन्द्र गोयल, विद्वान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, श्री संजीव जैन, विद्वान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-सदस्य, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, श्री मुकेश कुमार गुप्ता, विद्वान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-सदस्य, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, श्री तरुन सहरावत, विद्वान अधिकारी, दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा-सह-अधिकारी, विशेष ड्यूटी पर, लोकायुक्त कार्यालय, नई दिल्ली।
3. विभिन्न अनुभागों के समस्त विद्वान प्रभारी न्यायाधीश, केन्द्रीय जिला, तीस हजार न्यायालय, दिल्ली।
4. विद्वान प्रशासनिक दीवानी न्यायाधीश, केन्द्रीय जिला, तीस हजार न्यायालय, दिल्ली।
5. सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक), प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) व अनुभाग प्रमुख, केन्द्रीय जिला, तीस हजार न्यायालय, दिल्ली।
6. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक), प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) राजभाषा हिंदी अनुभाग, समस्त न्यायिक जिले।
7. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, केन्द्रीय जिला, तीस हजार न्यायालय, दिल्ली।
8. प्राप्ति एवं निर्गम शाखा, लेयर्स पर अपलोड करने हेतु।
9. अधोहस्ताक्षरी के निजी सचिव।

नौदल आधिकारी हिन्दी विभाग (ऊ. पं.) जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय)
तीस हजार न्यायालय,
दिल्ली

कार्यालय
officially
जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर-पश्चिम)
District & Sessions Judge (North-West)
रौहिणी न्यायालय, दिल्ली